

क्रमांक: प्रशि./जनप्र./2014/

दिनांक :

परिपत्र

राज्य सरकार की आई.डी. क्रमांक : 1277 दिनांक 13.12.2013 द्वारा उच्च मेरिट के अभ्यर्थियों को राजकीय केन्द्रों में रिक्त सीट उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय काउंसलिंग में प्रशिक्षण केन्द्र के पुनर्चयन का अवसर प्रदान किया गया था। तदनुसार कुछ प्रशिक्षणार्थी जिनको प्रथम काउंसलिंग में कोई राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्र में सीट आवंटित की गई थी को उनके प्रतिशतता/ विकल्पानुसार राजकीय केन्द्र में सीट पुनर्आवंटन किया गया है। इन अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित संस्था द्वारा इनके मूल दस्तावेज व जमा शुल्क राशि लौटा दी जावें। इन अभ्यर्थियों की पूर्व संस्थाओं में प्रस्तुत की गई उपस्थिती अवधि एवं पाठ्यचर्या का विवरण भी आवश्यक रूप से नवीन संस्थान को भिजवायें, जो कि वर्तमान उपस्थिति एवं पाठ्यचर्या में शामिल होंगे।

विभागीय कर्मचारियों के संदर्भ में कर्मचारी की उपस्थिती भी कर्मचारी के पदस्थापन स्थान के प्रशासनिक अधिकारी संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करे एवं की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराया जावें।

६१
(के० एल० स्वामी)
अति.निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांक: प्रशि./जनप्र./2014/ 340-515

दिनांक : 29/01/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
5. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैंडरेशन, ई-277 लालकोठी योजना, जयपुर।
6. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैंडरेशन ऑफ जयपुर।
7. समस्त राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूलस
8. कार्यालय प्रति।

२५
(के० एल० स्वामी)
अति.निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर